


25.9.19. पक्षकारान के आधीवक्तागण उपस्थित । मूल विग्राही प्रकरण में आज निर्णय पारित हो चुका है, लिहाजा यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है । पत्रवली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफतर हो ।


अपर कलेक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)